

परिपत्र संख्या- ~~ए~~ डीजी-1/2013

अरुण कुमार
आई.पी.एस.



अपर पुलिस महानिदेशक
(अपराध एवं कानून-व्यवस्था)

उत्तर प्रदेश

1, तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांक: लखनऊ: जनवरी 08, 2013

प्रिय महोदय,

वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रदेश में ऐसा वातावरण तैयार किया जाय कि जन सामान्य को कोई असामाजिक तत्व आतंकित करने का दुस्साहस न कर सके तथा महिलाएँ एवं लड़कियों निर्भय होकर आवागमन कर सकें।

2. अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2012 में धारा 294 एवं 354 भा0द0वि0 के प्रकरणों में जिन अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एवं परीक्षण कर लें, यदि आवश्यक समझें तो शासन की मंशा के अनुरूप धारा 110जी दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार कर लें।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद एवं रेलवे, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।